

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 11-09-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 11 Sep, 2025

Edition: International Table of Contents

Page 02 Syllabus :GS 1 &2 : Social Issues& Social Justice / Prelims	दलितों का आरोप है कि तमिलनाडु में 'छुआछूत की दीवार' से पहुंच बाधित हो रही है
Page 03 Syllabus :GS 2 :International Relations / Prelims	नौसेना ने संयुक्त अभ्यास के माध्यम से फ्रांस, मॉरीशस के साथ समुद्री संबंधों को मजबूत किया
Page 05 Syllabus :GS 2 : Indian Polity / Prelims	चुनाव आयोग ने सीईओ सम्मेलन आयोजित किया; राष्ट्रव्यापी एसआईआर से पहले तैयारी की समीक्षा
Page 07 Syllabus :GS 3 : Environment & Ecology/ Prelims	जलवायु नहीं, बड़े पैमाने पर विकास, हिमालय को किनारे पर धकेल रहा है
Page 09 Syllabus :GS 3 : Internal Security / Prelims	सड़कें बनाना शांति का निर्माण करना है
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus :GS 2 : International Relations	एससीओ मार्ग के साथ एक संयुक्त और नई यात्रा

तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के वलनजाइमन में दलित बस्तियों तक पहुंच को अवरुद्ध करने वाली 10 फुट की दीवार के निर्माण ने जाति आधारित भेदभाव और बुनियादी अधिकारों से वंचित करने के आरोपों को जन्म दिया है। जबकि दीवार को आधिकारिक तौर पर निजी भूमि पर होने का दावा किया जाता है, स्थानीय कार्यकर्ता इसे "अस्पृश्यता की दीवार" के रूप में वर्णित करते हैं, जो संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद भारतीय समाज में बनी गहरी जातीय बाधाओं को उजागर करता है।

Dalit residents allege 'untouchability wall' blocking access in Tamil Nadu

M. Nacchinarkkiniyan
TIRUVARUR

A 200-metre-long wall blocking a common pathway in Valangaiman town panchayat of Tamil Nadu's Tiruvarur district has triggered allegations of caste discrimination.

The wall, nearly 10 feet high, was erected three years ago at Kovilpathu in Valangaiman, bordering Pathiripuram in Virupachipuram panchayat. Kovilpathu and Pathiripuram house over 1,000 Dalit families, which say the closure of the pathway has forced them to walk an additional kilometre via the main road for daily needs.

The road was a two-km stretch connecting their settlements to Valangaiman's primary and higher secondary schools, rice mills, government hospital, and police station. More than 800 school-going children have been directly affected.



The wall, nearly 10 feet high, was erected about three years ago at Valangaiman in Tamil Nadu's Tiruvarur district. SPECIAL ARRANGEMENT

Most residents are daily wage workers and they say the longer route adds both time and costs to their already strained lives.

"For household errands and shops, this was the shortest path. Now, we are forced to take detours," said Manimegalai R., an elderly resident.

According to local activists, dominant caste groups tacitly support the wall. "There is fear that if Dalits have free access,

then property rates in the new layout will drop. We see this as an untouchability wall in all but name," said Murali K., district president of the Tamil Nadu Untouchability Eradication Front.

Plot developer J. Jekabar Ali, however, denied the charge. "This is patta land belonging to me, not a common pathway. There is a conspiracy to defame me. There are other walls around the Dalit settle-

ment - not just mine," he told *The Hindu*.

Official response

A peace committee meeting was held on September 26, 2024 by the then Valangaiman Tahsildar. The meeting recorded that a wooden footbridge existed for public use before the wall was built. Resolutions called for a PWD survey to verify encroachment. However, they remain unimplemented.

Tahsildar K. Om Sivakumar said he wrote to the Special Tahsildar (Adi Dravidar Welfare) to inspect the land and take steps if found to be an encroachment. District Revenue Officer B. Kalaivani said she would inquire into the matter and take necessary steps.

"This appears to be a personal property dispute. No complaint regarding untouchability has reached us," said P. Tamilmaran, DSP, Nannilam.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. घटना (2024-25):

- तीन साल पहले 200 मीटर लंबी दीवार खड़ी की गई थी, जिससे कोविलपाथू और पाथिरीपुरम में दलित परिवारों के लिए एक साझा रास्ता अवरुद्ध हो गया था।
- 1,000 से अधिक दलित परिवार और 800 से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।
- स्कूलों, अस्पतालों और कार्यस्थलों के लिए दैनिक आवागमन एक अतिरिक्त किलोमीटर लंबा हो गया है।

2. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- निवासी, मुख्य रूप से दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, समय और वित्तीय बोझ में वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं।
- आरोप है कि प्रमुख जाति समूह दलितों की गतिशीलता को प्रतिबंधित करने और भूमि/संपत्ति के मूल्यों की रक्षा करने के लिए दीवार का समर्थन करते हैं।

3. आधिकारिक प्रतिक्रिया:

- शांति समिति की बैठक (सितंबर 2024) ने दीवार निर्माण से पहले एक आम लकड़ी के फुटब्रिज के अस्तित्व को स्वीकार किया।
- जिला अधिकारियों ने सर्वेक्षण का आदेश दिया, लेकिन कार्यान्वयन लंबित है।
- स्थानीय पुलिस ने आरोपों को तवज्जो नहीं देते हुए इसे 'संपत्ति विवाद' करार दिया, न कि छुआछूत।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

• संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 15(2): सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में मुक्त आवाजाही का अधिकार शामिल है।

• कानूनी सुरक्षा उपाय:

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

• तमिलनाडु संदर्भ:

- राज्य में "जाति की दीवारों" (उदाहरण के लिए, मदुरै में उथापुरम दीवार, 2008) को जनता के आक्रोश के बाद ध्वस्त करने का इतिहास रहा है।

• संस्थानों:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया गया है।

प्रीलिम्स पॉइंट्स

- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- प्रासंगिक अधिनियम: पीसीआर अधिनियम (1955), एससी/एसटी अधिनियम (1989)।

- केस स्टडी: उथापुरम कास्ट वॉल, तमिलनाडु (2008)।
- अंतर: निजी संपत्ति विवाद बनाम सार्वजनिक मार्ग अधिकार।

मुख्य विश्लेषण

1. समकालीन भारत में जातिगत भेदभाव:

- संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, भौतिक बाधाओं के माध्यम से स्थानिक अलगाव जारी है।
- दलितों की गतिशीलता को प्रतिबंधित करने वाली दीवारें प्रतीकात्मक इशारों से परे संरचनात्मक अस्पृश्यता को दर्शाती हैं।

2. शासन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया:

- शांति समिति के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में देरी प्रशासनिक जड़ता को उजागर करती है।
- पुलिस ने आरोपों को 'व्यक्तिगत विवाद' बताकर खारिज कर दिया है, जो संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करता है।
- संघर्ष समाधान में स्थानीय निकायों, पीडब्ल्यूडी सर्वेक्षणों और जिला अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

3. अधिकार और विकास प्रभाव:

- शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) को प्रभावित करता है और 800+ बच्चों को लंबे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है।
- यात्रा के समय और लागत में वृद्धि के कारण दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होती है।
- आवश्यक सेवाओं (स्कूलों, अस्पतालों, दुकानों) तक पहुंच पर प्रतिबंध सामाजिक बहिष्कार का एक रूप है।

4. प्रतीकवाद और राजनीतिक संदेश:

- विपक्षी दल और कार्यकर्ता इसे जातिगत रंगभेद की प्रतीकात्मक याद दिलाते हैं।
- भूमि विकास नीतियों में समान शहरी नियोजन और सामाजिक न्याय पर सवाल उठाया।

निष्कर्ष

वलंगाइमन "अस्पृश्यता की दीवार" विवाद केवल एक स्थानीय भूमि विवाद नहीं है, बल्कि भारत की निरंतर जाति-आधारित बाधाओं का प्रतिबिंब है। जबकि राज्य मशीनरी ने जांच शुरू कर दी है, कार्रवाई में देरी संवैधानिक आदर्शों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच की खाई को रेखांकित करती है। भारत के लोकतांत्रिक और विकासात्मक दृष्टिकोण – विकसित भारत 2047 – को सार्थक बनाने के लिए, भौतिक और अदृश्य दोनों तरह की दीवारों को तोड़ना आवश्यक है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 15(2) दुकानों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
2. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है।
3. अनुच्छेद 23 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रावधान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सार्वजनिक मार्ग तक दलितों की पहुंच को अवरुद्ध करने के मुद्दे से सीधे तौर पर प्रासंगिक है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) केवल 1

उत्तर: (a)

UPSC Mains Practice Question : Social Issues & Indian Polity

प्रश्न: समानता का अधिकार और अस्पृश्यता का निषेध भारतीय संविधान के आधारशिला आदर्श बने हुए हैं। जाति-आधारित बहिष्करण प्रथाओं के संदर्भ में इन अधिकारों को बनाए रखने में स्थानीय शासन और राज्य मशीनरी की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। (250 शब्द)

UPSC Mains Practice Question : Social Justice

प्रश्न: जाति की दीवारों जैसी भौतिक बाधाएं न केवल सामाजिक भेदभाव का प्रतीक हैं, बल्कि समावेशी विकास और मानवाधिकारों को भी कमजोर करती हैं। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी सुरक्षा उपायों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

Page 03 : GS 2 : International Relations / Prelims

दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की हालिया प्रशिक्षण तैनाती भारत की समुद्री कूटनीति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रियूनियन (फ्रांस) और मॉरीशस में समवर्ती बंदरगाह कॉल और इतालवी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के साथ, भारत ने अपने महासागर दृष्टिकोण के तहत अपनी बढ़ती नौसैनिक पहुंच, परिचालन अंतरसंचालनीयता और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. परिनियोजन (सितंबर 2025):

- आईएनएस तीर और आईसीजीएस सारथी रियूनियन द्वीप (फ्रांसीसी क्षेत्र) पहुंचे।
- आईएनएस शार्दुल मॉरीशस के पोर्ट लुइस पहुंचा।
- आईएनएस सूरतने उत्तरी अरब सागर में इतालवी नौसेना के जहाज आईटीएस कायो डुइलियो के साथ एक मार्ग अभ्यास किया।

2. भारत-फ्रांस समुद्री सहयोग:

- फ्रांसीसी नौसेना के जहाज FS Nivose द्वारा एक मार्ग अभ्यास (PASSEX) के साथ स्वागत किया गया।
- गतिविधियाँ: क्रॉस-ट्रेनिंग, संयुक्त डाइविंग अभ्यास, खेल जुड़नार।
- भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य के संयुक्त सहयोग पर फ्रांसीसी कमांडरों के साथ बातचीत की।

3. भारत-मॉरीशस जुड़ाव:

- एमसीजीएस विकट्री और मॉरीशस कोस्ट गार्ड डोर्नियर के साथ संयुक्त गश्त और ईईजेड निगरानी।
- उच्च स्तरीय बातचीत ने समुद्री सुरक्षा में

Navy strengthens maritime ties with France, Mauritius through joint exercises

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Ships of the Indian Navy's first training squadron (ITS), *INS Tir* and *ICGS Sarathi*, arrived at Réunion island, while *INS Shardul* reached Port Louis, Mauritius, on September 8, as part of their training deployment in the southwest Indian Ocean Region.

At Réunion island, the ships were welcomed by French Navy ship *FS Nivose* with a 'passage exercise'. The visit features professional interactions, including cross-training visits, joint diving exercises, and sports fixtures, furthering the India-France naval partnership. The senior officer of the ITS, also called on the French Naval Base Commander and the Commandant Supérieur des FAZSOI, with discussions centred on regional security, future joint exercises, and maritime cooperation.

The *INS Shardul* conducted joint patrolling and Exclusive Economic Zone surveillance with *MCGS Victory* and a Mauritius Coast Guard Dornier, before arriving at Port Louis. During the port call, the



INS Shardul, a landing ship tank of the Indian Navy, arrives at Port Louis in Mauritius. X/@INDIANNAVY

Commanding Officer of *INS Shardul* met the senior Mauritian leadership, reaffirming the strong bonds of trust and professional cooperation between India and Mauritius, the Indian Navy said.

The concurrent port of calls of the ITS highlight India's commitment to "maritime collaboration, and regional stability, aligned with the vision of MAHA-SAGAR", and the Indian Navy's enduring role in building bridges of friendship across the Indian Ocean Region, the Navy said in a statement.

The *INS Surat*, the In-

dian Navy's latest indigenous guided missile destroyer, mission deployed in the north Arabian Sea, participated in a passage exercise with *ITS Caio Duilio*, an Andrea Doria class destroyer of the Italian Navy, on September 7.

The exercise featured complex tactical manoeuvres, aircraft tracking, seamanship evolutions, communication drills, and flying operations, including cross-deck helicopter landings. The PASSEX concluded with a ceremonial steampast, where the two navies exchanged traditional courtesies at sea.

विश्वास और सहयोग की पुष्टि की।

4. भारत-इटली नौसेना बातचीत:

- आईएनएस सूरत और आईटीएस काओ डुइलियो ने सामरिक युद्धाभ्यास, नाविक अभ्यास, विमान ट्रेकिंग और क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर संचालन के साथ उन्नत पासेक्स को अंजाम दिया।
- एक औपचारिक स्टीमपास्ट के साथ समापन हुआ।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

• भारत की नौसैनिक कूटनीति:

- भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करती है।
- प्रमुख पहल: SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास), महासागर विजन, मिशन सागर मानवीय सहायता और IOR तटीय निगरानी रडार श्रृंखला।

• सामरिक भूगोल:

- रीयूनियन द्वीप (फ्रांस): दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में प्रमुख आधार।
- मॉरीशस: भारत का निकटतम समुद्री भागीदार; अगालेगा द्वीप परियोजना (भारत हवाई पट्टी और सुविधाओं का विकास कर रहा है) में महत्वपूर्ण।

• नौसेना अभ्यास:

- PASSEX: इंटरऑपरेबिलिटी के लिए पोर्ट विज़िट के दौरान लघु व्यायाम।
- वरुण: भारत-फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास।
- CORPAT: हिंद महासागर क्षेत्र के राज्यों (जैसे, मॉरीशस, सेशेल्स, मालदीव) के साथ समन्वित गश्त।

प्रीलिम्स पॉइंट्स

- आईएनएस तीर: नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का प्रमुख जहाज।
- आईएनएस शार्दुल: लैंडिंग शिप टैंक (एलएसटी), उभयचर युद्धक जहाज।
- आईएनएस सूरत: नवीनतम स्वदेशी प्रोजेक्ट 15बी गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक।
- PASSEX: इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार के लिए पैसेज एक्सरसाइज।
- अगालेगा द्वीप (मॉरीशस): भारत रणनीतिक सुविधाओं का विकास कर रहा है।
- विजन सागर बनाम महासागर: सागर = क्षेत्रीय सुरक्षा, महासागर = विस्तारित समुद्री साझेदारी और स्थिरता।

मुख्य विश्लेषण

1. रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना:

- फ्रांस के साथ जुड़ाव हिंद महासागर में एक प्रमुख निवासी शक्ति के साथ भारत की साझेदारी को और गहरा करता है।
- मॉरीशस के साथ सहयोग द्वीप राष्ट्रों के लिए एक विश्वसनीय समुद्री सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है।
- इटली के साथ बातचीत पारंपरिक भागीदारों से परे यूरोपीय नौसेनाओं के साथ बढ़ती पहुंच का संकेत देती है।

2. समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता:

- मॉरीशस में संयुक्त गश्त और ईईजेड निगरानी नीली अर्थव्यवस्था संरक्षण को बढ़ाती है और आईयूयू (अवैध, असूचित, अनियमित) मछली पकड़ने का मुकाबला करती है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी, तस्करी विरोधी और आपदा राहत कार्यों के लिए क्षमता बढ़ाता है।

3. भू-राजनीतिक महत्व:

- हिंद महासागर (जिबूती बेस, ग्वादर, हंबनटोटा) में चीनी नौसैनिक की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करता है।
- संयुक्त अभ्यास और निगरानी के माध्यम से भारत के समुद्री क्षेत्र में जागरूकता को मजबूत करता है।

4. स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता:

- अत्याधुनिक स्वदेशी विध्वंसक आईएनएस सूरत की भागीदारी, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करती है।

निष्कर्ष

फ्रांस, मॉरीशस और इटली के साथ भारतीय नौसेना की एक साथ भागीदारी क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी उभरती भूमिका को उजागर करती है। प्रशिक्षण तैनाती, ईईजेड गश्त और उन्नत पासेक्स अभ्यास के संयोजन से, भारत रणनीतिक इरादे और परिचालन तत्परता दोनों का प्रदर्शन करता है। ये अभ्यास न केवल राजनयिक संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि सागर और महासागर के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप हिंद महासागर में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करते हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत की समुद्री दृष्टि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सागर का मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है।
2. महासागर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत का विस्तारित समुद्री साझेदारी दृष्टिकोण है।
3. सागर और महासागर दोनों ही स्पष्ट रूप से सैन्य गठबंधनों को अपनी नींव के रूप में उल्लिखित करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (ख)

UPSC Mains Practice Question : International Relations

प्रश्न: "हिंद महासागर महान शक्ति प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र बन गया है। इस संदर्भ में, चर्चा करें कि फ्रांस, मॉरीशस और इटली के साथ भारत के हालिया नौसैनिक अभ्यास इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक और राजनयिक भूमिका को कैसे मजबूत करते हैं। (150 शब्द)

UPSC Mains Practice Question : Security

प्रश्न: भारत खुद को हिंद महासागर में एक "शुद्ध सुरक्षा प्रदाता" के रूप में स्थापित कर रहा है। गंभीर रूप से जांच करें कि सागर, महासागर और नौसेना आउटरीच कार्यक्रम जैसी पहल समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में कैसे योगदान करती हैं। (150 शब्द)

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूची के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों का आकलन करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। यह अभ्यास आगामी चुनावों से पहले एक त्रुटि मुक्त, समावेशी और पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता मजबूत होगी।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. सम्मेलन विवरण (सितंबर 2025):

- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद थे।
- इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

2. फोकस क्षेत्र:

- एक ही समय पर राष्ट्रव्यापी एसआईआर के लिए तैयारी।
- मतदाताओं की संख्या, मतदाता सूची के डिजिटलीकरण और पिछले एसआईआर की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुतियां।
- यह सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा कि कोई भी मतदान केंद्र 1,200 मतदाताओं से अधिक न हो।

3. बिहार का अनुभव:

- बिहार एसआईआर लागू करने वाला पहला राज्य था।
- साझा रणनीतियाँ, बाधाएँ और सर्वोत्तम प्रथाएँ।
- 11 सांकेतिक दस्तावेज (मतदाता सत्यापन के लिए) जारी करने से विवाद पैदा हो गया।

4. सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप:

- चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में आधार जोड़ने का निर्देश दिया।
- चुनाव आयोग के सूत्रों ने संकेत दिया कि सूची को देश भर में और अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

EC holds CEO conference; reviews readiness ahead of nationwide SIR

Sreeparna Chakrabarty
NEW DELHI

The Election Commission (EC) on Wednesday held a conference of Chief Electoral Officers (CEOs) of all States and Union Territories to assess the preparedness for rolling out a nationwide special intensive revision (SIR) of voter lists.

The commission was planning to roll out the SIR across the country with a single schedule, as of now, sources in the EC said.

The conference was inaugurated by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in the presence of Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. It assessed the preparedness of the offices of the CEOs of all States and Union Territories for the nationwide SIR exercise, an official statement said.

At the beginning of the conference, Bihar CEO Vinod Singh Gunjyal made a presentation on the strategies, constraints, and best practices adopted in his State, which was the first to roll out the SIR.

All other CEOs provided detailed presentations on the number of electors and the qualifying date of the previous SIRs and electoral



Gearing up: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar with Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. PTI

rolls in their respective States or Union Territories, according to the previous completed SIR. They also presented the status of digitisation and uploading of the electoral roll after the previous SIR on the website of the State and Union Territory CEO.

The officers also provided suggested documents to ensure no eligible citizen was left out of the electoral roll, and no ineligible person was included in it.

The issue assumes importance in light of the controversy surrounding the list of 11 indicative doc-

uments, which the EC had sought as part of the SIR exercise in Bihar. However, the Supreme Court had on Monday asked the poll body to add Aadhaar as the 12th document in the Bihar SIR.

EC sources said that though the SIR order of June 24 holds for the entire country, the list of documents could be made more inclusive when the schedule is announced.

The CEOs also provided the status of mapping of current electors with the electors as per the previous SIR, in the State or

Union Territory, the statement said.

To ensure the uniform implementation of the Commission's initiative of having no polling station with over 1,200 electors, the status of rationalisation of polling stations was also reviewed.

The Commission also reviewed the status of appointment and training of District Electoral Officers, Electoral Registration Officers, Assistant Electoral Registration Officers, Booth-Level Officers, and Booth-Level Agents.

5. प्रशासनिक तैयारी:

- जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, आईओ, बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की समीक्षा।
- निरंतरता के लिए पिछले एसआईआर रिकॉर्ड के साथ मतदाताओं की मैपिंग।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

• संवैधानिक आधार:

- अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग में निहित चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
- अनुच्छेद 325: कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा।
- अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

• मतदाता सूची:

- यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा शासित है।
- एसआईआर = नए मतदाताओं को जोड़ने (18+), अयोग्य नामों को हटाने और त्रुटियों के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक संशोधन।
- बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ): रोल सत्यापन के लिए जमीनी स्तर पर एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं।
- डिजिटलीकरण: पारदर्शिता और आसान पहुंच सुनिश्चित करने वाली ईसीआई की ई-रोल परियोजना का हिस्सा।

प्रीलिम्स पॉइंट्स

- अनुच्छेद 324-326: चुनावों से संबंधित शक्तियां और प्रावधान।
- आरपीए 1950: मतदाता सूची तैयार करने को नियंत्रित करता है।
- एसआईआर (विशेष गहन संशोधन): वार्षिक मतदाता सूची अद्यतन अभ्यास।
- दस्तावेज़ मुद्दा: आधार समावेशन SC द्वारा अनिवार्य
- मतदान केंद्र मानदंड: प्रति स्टेशन 1,200 से अधिक मतदाता नहीं।

मुख्य विश्लेषण

1. SIR का महत्व:

- मतदाता सूची की शुद्धता और समावेशिता सुनिश्चित करता है।
- मतदाता बहिष्करण, दोहराव और प्रतिरूपण को रोकता है।
- चुनावी लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाता है।

2. हाइलाइट की गई चुनौतियाँ:

- दस्तावेज़ विवाद (गोपनीयता और आधार लिंकेज संबंधी चिंताएं)।
- राज्यों में सीईओ, बीएलओ और ईआरओ पर प्रशासनिक बोझ।

- प्रवासन, शहरी मलिन बस्तियों और उचित दस्तावेज की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में प्रतिरोध।
- 3. **न्यायिक निरीक्षण:**
 - आधार को शामिल करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश समावेशिता और प्रामाणिकता के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।
 - निजता बनाम चुनावी अखंडता पर बहस उठाई
- 4. **चुनाव सुधार आयाम:**
 - मतदान केंद्रों का युक्तिकरण = मतदाताओं की अधिक सुविधा और पहुंच।
 - डिजिटल मतदाता सूची पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है।
 - भागीदारी में सुधार करके सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- 5. **राजनीतिक और लोकतांत्रिक निहितार्थ:**
 - स्वच्छ और विश्वसनीय सूचियां फर्जी मतदान और चुनावी कदाचार को रोकती हैं।
 - सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
 - मतदाताओं के विश्वास को मजबूत करता है, जो चुनावी वैधता की आधारशिला है।

निष्कर्ष

राष्ट्रव्यापी एसआईआर कराने का चुनाव आयोग का कदम स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि आधार को शामिल करना और मतदान केंद्रों का युक्तिकरण प्रगतिशील सुधारों को दर्शाता है, समावेशिता, गोपनीयता और प्रशासनिक दक्षता को संतुलित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। यदि इस कवायद को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह भारत की लोकतांत्रिक साख और शासन में नागरिकों की भागीदारी को और मजबूत करेगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनाव आयोग 1950 में अपनी स्थापना से एक बहु-सदस्यीय निकाय है।
2. संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित करता है।
3. मतदाता सूची तैयार करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा शासित होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: "एक स्वच्छ और त्रुटि मुक्त मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है। दस्तावेजीकरण, प्रवासन और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के संदर्भ में भारत में मतदाता सूची को अद्यतन करने में चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें। (150 शब्द)

Page 07 : GS 3 : Environment & Ecology/ Prelims

हिंदू कुश-हिमालयी क्षेत्र, जिसे अक्सर "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है, में बाढ़, भूस्खलन और हिमनद झील के फटने से बाढ़ (जीएलओएफ) जैसी आपदाओं में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इन घटनाओं को अक्सर पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, बढ़ते सबूतों से पता चलता है कि अनियमित विकास, वनों की कटाई और अस्थिर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को पतन की ओर धकेलने वाले प्रमुख कारक हैं।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. हाल की आपदाएँ (अगस्त-सितंबर 2025):

- पंजाब को 1988 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा क्योंकि नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी) में उफान आया था।
- कश्मीर और पाकिस्तान में भारी बारिश से 34 लोगों की मौत।
- उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव भूस्खलन से आई बाढ़ में बह गया।
- केदारनाथ बाढ़ (2013) और चमोली आपदा (2021) की याद दिलाते हैं।

2. विशेषज्ञ टिप्पणियाँ:

- आईसीआईएमओडी: आपदाएं जलवायु परिवर्तनशीलता + अनियमित विकास का मिश्रण हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अंधाधुंध निर्माण जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश 'लुप्त' हो सकता है।
- पनबिजली विस्तार, सड़क चौड़ीकरण और पर्यटन बुनियादी ढांचे पर चिंता व्यक्त की गई।
-

Rampant development, not climate, pushing Himalayas to the edge

The disasters in August and September are exposing the cost of ignoring the climate risks in the rush to achieve development in the Hindu Kush Himalayas; though natural events were blamed, the evidence points to completely unregulated construction and deforestation across the region

M. Rupa Rasagna

Punjab faced its worst floods since 1988 in August this year. Waters overflowing from the Sutlej, Beas, and Ravi rivers have destroyed several villages in the State. Around the same time, at least 34 people died after intense rainfall lashed India-controlled Kashmir and several parts of Pakistan. Early in August, the village of Dharali in Uttarakhand district of Uttarakhand disappeared after a deluge triggered a landslide.

This was just August. This isn't the first time the Indian Himalayan region has suffered such catastrophe; the 2013 Kedarnath floods and the 2021 disaster in Chamoli come to mind. And at least one thread runs through all of these incidents: they were all treated as unprecedented acts of nature.

The invisible hand
Experts have already said calling every heavy-rain event a "cloudburst" risks oversimplifying the disasters.

"Most of these natural disasters are not really natural at all. They are often a combination of two factors – climate change and development," Arun B. Shrestha, a senior advisor, Climate and Environmental Risks, at the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), said.

The Himalayas are the world's youngest mountains and are high-energy environments characterised by instability and variability. Landslides here are often triggered by heavy rainfall, slope undercutting or seismic activity.

According to ICIMOD research, the mountains are also particularly susceptible to floods, cloudbursts, glacial lake eruptions, and landslides.

Chief Justice B.R. Gavai called visuals of tree logs floating in flood waters in Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, and Uttarakhand in the first week of September a "very serious issue."

"Logs are seen floating with the flood waters. If this goes on, we will not have any forests left. In Punjab, entire villages are inundated. Development is needed, but not at the cost of the environment and lives," Justice Gavai observed on September 4.

No blanket plan
On July 18, the Supreme Court bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan had observed: "If things proceed the way they are as of date, the day is not far when the entire state of Himachal Pradesh may vanish in thin air from the map of India. God forbid this does not happen."

The bench also said governments shouldn't build revenue at the cost of ecological sustainability, and blamed human activity for worsening disasters. "I think the Supreme Court is very much right about this," Navneet Yadav, lead, Humanitarian Action and Disaster Risk Reduction at Caritas India, an NGO, said.

He added that development in Himachal Pradesh and Uttarakhand can't happen according to the same plans drafted for metropolitan cities like Delhi and Mumbai.

"Every aspect of development should go through a lifecycle analysis. We should start looking at it in a completely different way, where we take into consideration the



The overflowing Jhelum River flooding homes along its banks in Srinagar: IMRAN NISSAR

real impact of climate change," Mr. Shrestha, who also stressed on assessing the carrying capacity of an area before implementing any project, said.

"Prior to making any major interventions in the mountains, there should be clearly defined steps in terms of an honest and independent social impact assessment in addition to a disaster impact assessment, which should go through a democratic public consultation process," Himanshu Thakkar, coordinator of the South Asia Network on Dams, Rivers, and People, added.

The disaster potential
The Hindu Kush mountains are currently being encroached on as well as hosting more tourists, infrastructure development projects, and power generation activities. Together with a paucity of proper environmental impact assessments, experts have warned that the mountains are being pushed beyond their ability to cope.

According to the Directorate of Energy of Himachal Pradesh, there are 1,144 hydropower plants in the state, of which 721 are at various stages of clearance and investigation, 180 have been commissioned, and 53 are under construction. The Centre has also sanctioned funds to build new bridges and widen roads.

Similarly, in Uttarakhand, there are 40 operational hydroelectric plants while 87 more are at various stages of planning and construction, all to boost the State's power generation capacity.

All these construction activities entail the use of heavy equipment to cut through the mountains.



Critical structures must never be built in unsafe locations because they are the places that house those affected by a disaster. But that is unfortunately not the reality. Most government schools are built on the worst kind of land

NAVNEET YADAV
LEAD, HUMANITARIAN ACTION AND DISASTER RISK REDUCTION AT CARITAS INDIA

"Today, we are building highways without any attention to how they can increase disaster potential," Mr. Thakkar said.

As the Supreme Court bench observed on July 18, the proliferation of 'development' work is joining hands with climate change to worsen the effects of rain and temperature changes.

On September 4, the apex court also issued a notice to the National Highways Authority of India following a petition that claimed 14 tunnels between Chandigarh and Manali turned into "death traps" during heavy rains.

The average temperature in the Indian Himalayas is already rising faster than the global average, resulting in reduced snowfall and more snow melt. When a glacier melts, the water pools into a new lake. If a rocky barrier adjacent to the lake shifts or breaks, all the water can be released into a nearby river or drain, leading to sudden and massive floods. These events are called glacial lake outburst floods (GLOFs).

According to ICIMOD, there were more than 25,000 classified glacial lakes in five major river basins across the Himalayas

by 2018, placing communities and livelihoods downstream at more and more risk.

"Worst kind of land"
"Infrastructure changes have to be done keeping in mind such climatic variations – GLOFs, landslides, and even droughts," Mr. Shrestha said. "The Himalayas are at a tipping point, and we need an urgent course correction that balances economy and energy. We need nature-based solutions with the involvement of the local communities because they know the local landscape and the hazards that come with it."

"Building climate literacy amongst the locals to drive local self-governance is important," Mr. Yadav said. "Not just that, all the critical structures, such as hospitals and schools, must never be built in unsafe locations because they are the immediate places that house those affected by any disaster. But that is unfortunately not the reality. Most government schools are built on the worst kind of land."

The rise in tourism has also stoked a demand for land on which to build hotels, homestays, and other facilities, and that in turn has been driving local deforestation. The deciduous trees in particular are native to the region and hold the soil in place.

"When you remove them, the soil is in boulders which will soon erode out. And that erosion will increase the disaster potential of the area in terms of landslides and floods in the downstream villages," Mr. Thakkar said.

He added that it should be possible to 'develop' without tearing trees down. (ruparagasna.m@thehindu.co.in)

3. विकास के दबाव का पैमाना:

- हिमाचल प्रदेश: 1,144 जलविद्युत संयंत्र (180 चालू हैं, 53 निर्माणाधीन)।
- उत्तराखंड: 40 चालू पनबिजली संयंत्र, 87 और योजना/निर्माण में।
- एनएचआई की परियोजनाएं: भारी बारिश के दौरान चंडीगढ़-मनाली के बीच 14 सुरंगों को "मौत का जाल" करार दिया गया।

4. पर्यावरणीय जोखिम:

- वनों की कटाई (विशेष रूप से देशी देवदार के पेड़ों की) कटाव और भूस्खलन को बढ़ाती है।
- हिमनदों के पिघलने → 25,000+ झीलों की पहचान की गई (2018), जिससे जीएलओएफ का खतरा बढ़ गया।
- बाढ़ में बहने वाले पेड़-लट्टे = बड़े पैमाने पर कटाई का संकेतक।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- भूविज्ञान: हिमालय = दुनिया का सबसे छोटा वलित पर्वत, अत्यधिक अस्थिर, भूकंपीय और वर्षा से प्रेरित खतरों से ग्रस्त है।
- आपदा के प्रकार: भूस्खलन, बादल फटना, अचानक बाढ़, जीएलओएफ, भूकंप।
- मुख्य अवधारणाएँ:
 - जीएलओएफ बैरियर ढहने के कारण हिमनद झील से अचानक पानी छोड़ना।
 - वहन क्षमता मूल्यांकन: यह मूल्यांकन करना कि कोई क्षेत्र पारिस्थितिक क्षरण के बिना कितनी जनसंख्या/बुनियादी ढांचे को बनाए रख सकता है।
 - प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस): वनीकरण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन, जैव-इंजीनियरिंग के माध्यम से ढलान स्थिरीकरण।
- संस्थागत ढांचा:
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005)।
 - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)।
 - हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी)।

प्रीलिम्स पॉइंटर्स

- केदारनाथ आपदा (2013): हिमनद झील का अतिप्रवाह + अनियोजित निर्माण।
- चमोली आपदा (2021): फ्लैश फ्लड, ग्लेशियल/भूस्खलन की उत्पत्ति।
- आईसीआईएमओडी: इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (मुख्यालय: काठमांडू)।
- GLOF: हिमनद झील विस्फोट बाढ़।
- अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए SC द्वारा विस्तारित किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2024 की टिप्पणी: अगर लापरवाह विकास जारी रहा तो हिमाचल के गायब होने का खतरा है।

मुख्य विश्लेषण

1. हिमालयी आपदाओं के चालक:

- जलवायु परिवर्तन: हिमालय में तेजी से गर्म होना, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, बर्फ/ग्लेशियर के पिघलने में वृद्धि।
- अनियमित विकास: सड़कें, सुरंगें, जल विद्युत संयंत्र उचित ईआईए के बिना निर्मित।
- वनों की कटाई: पर्यटन और निर्माण के लिए मिट्टी की अस्थिरता के → देशी पेड़ों को हटाया गया।
- शहरीकरण और पर्यटन का दबाव: पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में होटल, होमस्टे, बुनियादी ढांचा।

2. न्यायिक और विशेषज्ञ चेतावनी:

- सुप्रीम कोर्ट ने पारिस्थितिकी की कीमत पर राजस्व सृजन के खिलाफ आगाह किया।
- विशेषज्ञों ने परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले क्षमता अध्ययन करने का आह्वान किया।
- सार्वजनिक भागीदारी के साथ स्वतंत्र आपदा और सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता है।

3. शासन और नीतिगत अंतराल:

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) मानदंडों का कमजोर प्रवर्तन।
- हिमालय में जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे के मानकों का अभाव।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएचईआई, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच खराब समन्वय।

4. आगे की राह - विकास और पारिस्थितिकी को संतुलित करना:

- प्रकृति-आधारित समाधान: वनीकरण, ढलान स्थिरीकरण, नदी कायाकल्प।
- लचीली बुनियादी ढांचा योजना: भूवैज्ञानिक सुरक्षा अध्ययन के बिना नाजुक इलाके में सुरंगों/पुलों से बचें।
- सामुदायिक भागीदारी: जलवायु साक्षरता का निर्माण करें और स्थानीय शासन को सशक्त बनाएं।
- इको-टूरिज्म मॉडल: अनियमित होटल/सड़क निर्माण को सीमित करें।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: स्कूलों और अस्पतालों को जोखिम-प्रवण क्षेत्रों में नहीं बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

2025 की हिमालयी आपदाएँ अलग-थलग "ईश्वर के कार्य" नहीं हैं, बल्कि जलवायु जोखिमों को बढ़ाने वाले लापरवाह मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम हैं। हिमालय, जो पहले से ही नाजुक है, एक चरम बिंदु पर है, जहां अनियंत्रित विकास अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक पतन का कारण बन सकता है। यदि भारत को अपनी सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सीमाओं में से एक के अस्तित्व के साथ अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को संतुलित करना है, तो सतत विकास, सख्त पर्यावरण शासन और समुदाय-आधारित अनुकूलन की ओर बदलाव आवश्यक है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हिमालयी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हिमालय भूगर्भीय रूप से दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
2. वे भूस्खलन, बाढ़ और हिमनद झील के फटने से बाढ़ (जीएलओएफ) के लिए अत्यधिक प्रवण हैं।
3. देवदार जैसे देशी पेड़ों की कटाई से मिट्टी के कटाव और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर :d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: हिमालय में अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित होती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द)

भारत के संघर्ष प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों, विशेष रूप से माओवाद-प्रभावित रेड कॉरिडोर (छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों) में, सड़कों का निर्माण एक विकास परियोजना से कहीं अधिक है। यह लंबे समय से विद्रोहियों और हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति की भौतिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि सड़क संपर्क शासन, सुरक्षा, वैधता और शांति-निर्माण से कैसे जुड़ा हुआ है।

To build roads is to build peace

In India's tribal hinterlands, especially those affected by Maoist insurgency, roads are not just a matter of transport. They are emissaries of the state, carving a path not only through forests and hills but also through histories of marginalisation and neglect. In regions where formal institutions are barely visible, a newly built road often marks the first arrival of governance itself.

A growing body of research shows that road development in conflict-affected areas has a stabilising effect. In Chhattisgarh, Jharkhand, and Odisha, core States in the "Red Corridor," the presence of rural roads is strongly associated with improvements in electricity access, employment opportunities, and security. Roads help reclaim governance from non-state actors who thrive in isolation. When the state is absent, insurgent groups often step in with slogans and systems. Across conflict zones, insurgents have set up parallel institutions that mimic state functions. Diego Gambetta's classic study of the Sicilian Mafia illustrates this: extralegal actors assume roles such as conflict resolution and taxation when the state withdraws. In India, Maoist insurgents have attempted to fill governance gaps in remote areas by running informal courts and levying their own "taxes." The demand and supply logic applies to governance. An undersupply of formal governance leads to opportunistic entrepreneurship seeking to pick up the slack in supply.

In some tribal regions, it is reported that extralegal outfits have even dispensed rudimentary medical aid where clinics are absent – an act that blurs the line between care and coercion. Research by Alpa Shah (2018) and Human Rights Watch (2009) notes that the Naxalite presence in villages often includes some health services and welfare activities, though always underwritten by the threat of violence. As scholar Zachariah



Pavan Mamidi

is Director, Centre for Social and Behavior Change (CSBC), Ashoka University

Roads help reclaim governance from non-state actors who thrive in isolation

Mampilly (2011) observed in other insurgent contexts, such services are not charitable – they are strategic. The aim is not just survival but legitimacy.

Legitimacy cannot rest on coercion alone. Extralegal governance, while sometimes filling the gaps left by the state, is not bound by constitutional safeguards or democratic principles. Its forms of justice are often opaque, arbitrary, and punitive. In several Maoist-affected areas, there are reports of kangaroo courts (*jan adalats*) that have issued summary punishments, including executions, without due process. This is justice without appeal, correction, or accountability – more terror than tribunal.

This is why infrastructure matters. It is the physical precondition for the presence of lawful authority. Jain and Biswas (2023) have shown that road connectivity correlates with a decline in crime and increased service access in rural India. Internationally, Rafael Prieto-Curiel and Ronaldo Menezes (2020) demonstrate that violence is higher in poorly connected areas, whether in cities or rural zones. Infrastructure, they argue, is not merely functional; it is political.

Formal state institutions, though imperfect, operate within a framework of laws shaped by democratic consensus. These laws are debated, refined, and subject to public scrutiny. When schools, police stations, clinics and courts are introduced in conflict-prone areas through road development, they bring not only services but a system that is, at least in principle, accountable to citizens. It is the rule of law, not rule by fiat.

This contrast is critical. While formal institutions are subject to electoral oversight, bureaucratic accountability, and legal restraint, informal justice systems are not. They more often reflect entrenched power hierarchies and patriarchal norms, leading to practices such as vigilante justice

and collective punishment. In the absence of courts, entire communities can be targeted. Accusations of collaboration with security forces have, in some cases, led to mob reprisals under the guise of justice.

The Indian state has recognised this. In Chhattisgarh, former top official and current NITI Aayog CEO B.V.R. Subrahmanyam led a thoughtful strategy that placed infrastructure at the heart of governance renewal. Roads came first, followed by schools, clinics, and law enforcement. Each road had a message: that the state has come in, and is here to stay.

Safeguards are needed too

But infrastructure alone cannot resolve conflict. Roads can carry relief or repression. Without institutional safeguards such as justice mechanisms, health-care access, and community consultation, they risk becoming symbols of control rather than inclusion. A road should not simply be laid through a village but built with the village as this is essential to legitimacy. Moreover, we must be mindful that informal social norms, even outside insurgent control, can be just as exclusionary. It is said that in some parts of rural India, *khap* panchayats and caste councils operate alongside or in place of formal institutions. These bodies often enforced rigid social codes through shame or violence. While they may have provided swift resolution, they did so without the protections of equity or legality. Development, therefore, must aim not only to replace insurgent authority but also to integrate pluralistic, rights-based governance rooted in India's constitutional values.

As India invests in its tribal heartlands, especially in regions like southern Chhattisgarh, road development must be part of a broader effort to extend justice, dignity, and opportunity. The goal is not merely movement but belonging. To build roads, then, is to build peace.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

1. संघर्ष क्षेत्रों में सड़क विकास

- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा ("रेड कॉरिडोर") के नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण सड़कें बिजली की पहुंच, रोजगार, सुरक्षा और शासन की उपस्थिति से दृढ़ता से संबंधित हैं।
- सड़कें हाशिए के क्षेत्रों में राज्य के पहले दिखाई देने वाले संकेत के रूप में कार्य करती हैं।

2. शासन बनाम विद्रोही प्राधिकरण

- विद्रोही अक्सर शासन की कमियों को भरने के लिए कदम उठाते हैं: अनौपचारिक अदालतें चलाते हैं, कर लगाते हैं, यहां तक कि अल्पविकसित स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करते हैं।
- हालांकि, ऐसी "सेवाएं" जबरदस्ती और रणनीतिक हैं, जिनका उद्देश्य वैधता प्राप्त करना है, कल्याण नहीं।
- उदाहरण: उचित प्रक्रिया के बिना दंड जारी करने वाली जन अदालतें।

3. अनुसंधान अंतर्दृष्टि

- जैन और बिस्वास (2023): सड़क संपर्क अपराध को कम करता है, सेवा तक पहुंच बढ़ाता है।
- प्रीटो-क्यूरियल एंड मेनेजेस (2020): दुनिया भर में खराब तरीके से जुड़े क्षेत्रों में हिंसा अधिक है।
- अंतर्राष्ट्रीय समानताएं: सिसिली माफिया, अफ्रीकी विद्रोही शासन, आदि।

4. नीति उदाहरण – छत्तीसगढ़

- बीवीआर सुब्रह्मण्यम (बाद में सीईओ, नीति आयोग) के तहत, बुनियादी ढांचा-प्रथम शासन रणनीति अपनाई गई थी: सड़कें, → स्कूल, → क्लीनिक → पुलिसिंग।
- प्रत्येक सड़क राज्य के स्थायित्व का प्रतीक थी।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

• माओवादी विद्रोह (वामपंथी उग्रवाद):

- सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर रखने, भूमि के अलगाव और शासन की कमी में निहित है।
- "रेड कॉरिडोर" में ~90 जिले (11 राज्यों में फैले हुए) शामिल हैं, लेकिन तीव्रता अलग-अलग होती है।

• बुनियादी ढांचे की भूमिका:

- पीएमजीएसवाई और अन्य ग्रामीण सड़क योजनाओं को अक्सर जनजातीय/उग्रवाद वाले क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
- बुनियादी ढांचा = बाजारों, प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ एकीकरण।

• संवैधानिक मूल्य:

- कानून का शासन (अनुच्छेद 14, 21)।
- निर्देशक सिद्धांत: असमानताओं को कम करना, ग्रामीण जीवन में सुधार करना (अनुच्छेद 38, 39)।

प्रीलिम्स पॉइंटर्स

• योजनाएं/नीतियां:

- पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना): ग्रामीण कनेक्टिविटी।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (नीति आयोग): वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।

• खोजशब्दों:

- रेड कॉरिडोर, जन अदालत, खाप पंचायतें।
- तथ्य: वीपी राधाकृष्णन (पहले के संदर्भ से) और बीवीआर सुब्रह्मण्यम दोनों राज्य के नेतृत्व वाले शासन नवीनीकरण पर प्रकाश डालते हैं।

मुख्य विश्लेषण

1. सड़कों के माध्यम से शासन का नवीनीकरण

- सड़कें = शासन संस्थानों (स्कूलों, पुलिस, अदालतों) के लिए भौतिक नींव।
- "अनुपस्थित स्थिति" धारणा को "दृश्यमान अवस्था" → में बदलें।

2. समानांतर शासन का मुकाबला

- विद्रोही सेवा अंतराल को भरकर अलग-थलग क्षेत्रों में पनपते हैं।
- सड़कें अलगाव को तोड़ती हैं → गैर-कानूनी अभिनेताओं पर निर्भरता कम करती हैं।

3. राजनीतिक प्रतीक के रूप में बुनियादी ढांचा

- सड़कें तटस्थ नहीं हैं - वे संप्रभुता, वैधता और अपनेपन का संकेत देती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय शोध से पता चलता है कि खराब कनेक्टिविटी उच्च हिंसा से संबंधित है।

4. जोखिम और सुरक्षा उपाय

- सामुदायिक परामर्श के बिना, सड़कों को नियंत्रण के उपकरण के रूप में देखा जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे को न्याय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अधिकार आधारित शासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

5. व्यापक लोकतांत्रिक निहितार्थ

- कानून का शासन बनाम अनौपचारिक संस्थानों का मनमाना न्याय।
- विकास को विद्रोही नियंत्रण और प्रतिगामी स्थानीय मानदंडों (जैसे, जाति पंचायतों) दोनों को खत्म करना चाहिए।

निष्कर्ष

"सड़कों का निर्माण शांति का निर्माण करना है" – भारत के आदिवासी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, सड़कें परिवहन के बुनियादी ढांचे से कहीं अधिक हैं। वे राजनीतिक उपकरण हैं जो राज्य, न्याय और अवसर को पहले से उपेक्षित स्थानों में लाते हैं। हालांकि, वैध शांति को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के लिए, उन्हें समावेशी शासन, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और सहभागी विकास द्वारा पूरक किया जाना चाहिए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. "रेड कॉरिडोर" केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों तक ही सीमित है।
2. जन अदालतें कुछ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी समूहों द्वारा आयोजित अनौपचारिक अदालतें हैं।
3. पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रमुख योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वामपंथी उग्रवाद आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। समस्या के समाधान में बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से सड़कों की भूमिका पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

A joint and new journey along the SCO pathway

Last week, I was privileged to welcome Prime Minister Narendra Modi in Tianjin, China, for the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit, and attend the meeting between China's President Xi Jinping and Mr. Modi. This is a summit of solidarity and friendship. After 24 years of development, the SCO has grown into the world's largest regional organisation. The SCO Tianjin Summit has been the largest since the organisation's establishment. Leaders or the representatives of 23 countries, Mr. Modi included, and 10 heads of international organisations gathered to renew friendship, explore cooperation, seek common development, and advance the SCO into a new stage of high-quality development.

A high-yielding summit

There were fruitful outcomes. The Tianjin Declaration announced the establishment of "four security centres", including the SCO Universal Center for Countering Security Challenges and Threats and the SCO Anti-drug Center, and decided to set up the SCO Development Bank. Member-states of the SCO issued statements which expressed a fair stance in support of the multilateral trading system, and a just voice for defending the achievements of the victory in the Second World War.

This was a summit that focused on development. The leaders adopted the SCO's development strategy for the next decade. Against this backdrop, Mr. Xi announced that China would establish three major platforms for China-SCO cooperation in energy, green industry, and the digital economy, and set up three major cooperation centres for scientific and technological innovation, higher education and also vocational and technical education. These initiatives are open to all member-states, providing the organisation with new opportunities and empowering the region's sustainable development.

It was a summit leading global governance. In response to the governance deficit facing today's



Xu Feihong

is China's
Ambassador to India

world, Mr. Xi put forth the Global Governance Initiative, calling for adhering to sovereign equality, abiding by international rule of law, practising multilateralism, advocating a people-centered approach, and focusing on taking real actions, which became the biggest highlight of this summit.

Since joining the SCO in 2017, India has played an important role in advancing the SCO's development. China deeply appreciates Mr. Modi's and India's full support for China's SCO presidency. China stands ready to work with India to enhance cooperation under the framework of SCO in various areas such as security, financing, energy, green industry and the digital economy, to better improve the well-being of their people.

The diamond jubilee of ties

This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. In Tianjin, Mr. Xi and Mr. Modi reached new, important and common understandings on growing China-India relations further. Mr. Xi pointed out that it should be the right choice for China and India to be good-neighbourly friends and partners who help each other succeed, and have the dragon and the elephant dance together. Mr. Modi also stated that India and China are partners, not rivals. Their consensus far outweighs their disagreement. India is ready to view and develop the bilateral ties from a long-term perspective.

We should uphold the important and common understandings reached by the two leaders as guidance, and push bilateral relations forward for more practical progress.

First, we should further consolidate strategic mutual trust. We should earnestly draw the lessons from the past 75 years, strengthen correct strategic perception, explore right ways for neighbouring major countries to get along with each other, which are characterised by mutual respect and trust, peaceful coexistence, pursuit of common development, and win-win cooperation, and gradually resume various

mechanisms for dialogue and exchange between the two governments.

Second, we should further expand exchanges and cooperation. We should focus on development, which is the biggest common denominator of the two countries, and promote mutual support and success, and better facilitate trade and investment flows. The Chinese side is ready to strengthen cooperation with the Indian side in technology, education, culture, tourism and poverty alleviation, and promote exchanges and communications between political parties, think-tanks, media and the youth, so as to expand the convergence of interests and promote people-to-people bonds.

Third, we should further enhance good-neighbourliness and friendship. We should continue to uphold the Five Principles of Peaceful Coexistence initiated by the older generation of Chinese and Indian leaders, truly respect each other's core interests and major concerns, and combine our strength to maintain peace and tranquillity in the border areas. We should not allow the boundary question that was left over from the past to define current China-India relations, nor let specific differences affect bilateral cooperation, so as to ensure the sound and stable development of China-India relations.

The road ahead

As the world's two most populous major developing countries and important members of the Global South, China and India share common interests in pursuing development and revitalisation, maintaining world peace and stability, and promoting global governance. India and China will successively assume the BRICS presidency in the next two years. China stands ready to work with India to support each other's presidency, deepen and strengthen greater BRICS cooperation, jointly implement the Global Governance Initiative, resolutely oppose bullying and hegemony, defend international fairness and justice, and join hands to build a community with a shared future for humanity.

GS. Paper 02 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत की भागीदारी के महत्व पर चर्चा करें। (150 Words)

संदर्भ:

चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने क्षेत्रीय बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव पर प्रकाश डाला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी नेयूरेशियन क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग, विकास साझेदारी और स्थिरता पर जोर दिया। यह शिखर सम्मेलन न केवल भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एससीओ के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक ढांचे में भारत की भूमिका के लिए भी महत्वपूर्ण है।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

• SCO शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं (तियानजिन, 2025):

- एससीओ शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन, जिसमें 23 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं।
- **तियांजिन घोषणा:**
 - चार सुरक्षा केंद्रों की स्थापना (उदाहरण के लिए, सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए एससीओ यूनिवर्सल सेंटर, एंटी-ड्रग सेंटर)।
 - एससीओ विकास बैंक की स्थापना का निर्णय।
- SCO ने 10 साल की विकास रणनीति अपनाई; चीन ने ऊर्जा, हरित उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग के लिए प्लेटफार्मों और शिक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए केंद्रों की घोषणा की।
- वैश्विक शासन पहल: संप्रभु समानता, बहुपक्षवाद, कानून के शासन, जन-केंद्रित विकास और कार्रवाई योग्य सहयोग का आह्वान करता है।

• भारत-चीन द्विपक्षीय संदर्भ:

- 2025 राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है।
- दोनों नेताओं ने रणनीतिक आपसी विश्वास, विकास सहयोग और सीमा शांति पर जोर देते हुए कहा कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं।
- फोकस क्षेत्र: व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन, और लोगों से लोगों के बीच संपर्क।
- दोनों देश वैश्विक शासन पहल को बढ़ावा देते हुए और आधिपत्यवाद का विरोध करते हुए क्रमिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

• शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

- 2001 में स्थापित, बीजिंग, चीन में मुख्यालय।
- मुख्य उद्देश्य: क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग।

- सदस्यता: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, मध्य एशियाई राज्य; पर्यवेक्षक राज्य और संवाद भागीदार भी भाग लेते हैं।
- **SCO में भारत की भूमिका:**
 - 2017 से सदस्य हैं।
 - सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय संपर्क पहल में सक्रिय।
- **ब्रिक्स संदर्भ:**
 - भारत और चीन प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, वैश्विक शासन, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास पर सहयोग करते हैं।

मुख्य-उन्मुख विश्लेषण

1. क्षेत्रीय बहुपक्षवाद को मजबूत करना

- एससीओ भारत को मध्य एशिया, रूस और चीन के साथ रणनीतिक जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों का पूरक है।
- सुरक्षा केंद्र और नशीली दवाओं के खिलाफ पहल क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी और संगठित अपराध सहयोग को बढ़ाती है।

2. भारत-चीन द्विपक्षीय स्थिरता

- शिखर सम्मेलन प्रतिद्वंद्विता पर विकास को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास निर्माण को रेखांकित करता है
- ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और शिक्षा में सहयोग की रूपरेखा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

3. वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद

- वैश्विक शासन पहल के लिए भारत-चीन समर्थन इस बात पर जोर देता है:
 - संप्रभु समानता और गैर-हस्तक्षेप
 - वैश्विक मुद्दों के बहुपक्षीय समाधान
 - एकतरफावाद और आधिपत्यवाद के खिलाफ एक सामूहिक रुख
- यह भारत की ग्लोबल साउथ नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में सुधारों की खोज के अनुरूप है।

4. विकास और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी

- भारत-चीन वार्ता व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है, जो सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

- SCO सहयोग एशिया में बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और शैक्षिक संबंधों को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बहुपक्षवाद, चीन के साथ रणनीतिक संवाद और वैश्विक शासन पहल में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। विकासात्मक सहयोग, सुरक्षा सहयोग और राजनयिक विश्वास-निर्माण को संतुलित करके, भारत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान देते हुए अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एससीओ मंच का लाभ उठा रहा है। शिखर सम्मेलन भारत-चीन साझेदारी के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है, इस बात पर जोर देता है कि सीमाओं पर मतभेदों को साझा विकासात्मक और वैश्विक शासन लक्ष्यों पर सहयोग में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है।
